न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल स0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
18/22	4/4/2021	8/4/2022

पीठासीन अधिकारी : श्री संतोष कुमार मीना आर0ए0एस0

उनवान

1. वैभव पुत्र रामकुवांर जाति मीना निवासी श्रीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
'– वादी

बनाम

1. रामकुवांर पुत्र बिरधीलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तह. पींपल्दा जिला कोटा
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
– प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 , 88 , 89 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम श्रीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 130 रकबा 2.30 है., खसरा संख्या 212 रकबा 7.60 है. कुल किता 2 रकबा 9.90 है. कृषि भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के तन्हा खाते मे दर्ज है। जिसे आगे वादपत्र मे विवादित भूमि के रूप मे संबोधित किया गया है। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता बिरधीलाल से विरासत मे प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पत्ति है। वादी, प्रतिवादी क्रम 1 के सहदायिक है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से वादी का जन्म से ही विवादित भूमि मे सहदायिकी हित होने से वादी अपने 1/2 निहित हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 130 रकबा 2.30 है. तथा खसरा संख्या 212 रकबा 7.60 है. में से पूर्व दिशा की 2.65 है, कुल किता 2 रकबा 4.95 है. कृषि भूमि पर अपने हिस्से के मुताबिक शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। किन्तु वादी का नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही होने के कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि को उन्नत करवाने, आवश्यक भूमि सुधार करने, राजकीय कृषक कल्याण योजनाओ तथा वित्तिय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने मे घोर कठिनाइयों का सामना करना करना पडना है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह उपर वर्णनानुसार अपने निहित हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाकर उसका राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करावे। दिनांक 28–3–2022 को वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से विवादित भूमि मे उसके कब्जे व हिस्से की भूमि को पृथक् से राजस्व अभिलेख मे दर्ज करवाने बाबत निवेदन कर दिया तो उन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया इस पर वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 के समक्ष उक्त भूमि स्वयं की खातेदारी मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया जो उन्होने न्यायालय श्रीमान मे कार्यवाही करने हेतु हिदायत की, इस पर वादी को न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है। वाद कारण दिनांक 28–3–2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी से विवादित भूमि मे उसका कब्जे व हिस्से की भूमि को पृथक् से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने बाबत निवेदन करने तथा उसके द्वारा इंकार करने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है। उन्हे केवल मात्र न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालना करनी है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 से कोई विशेष अनुतोष वांछित नही है। वाद नियत न्याय शुल्क 1/– पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। न्यायालय श्रीमान

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालन मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अन्त मे निवेदन किया कि वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादर डिक्री फरमायी जावे कि वादी को ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 130 रकबा 2.30है. तथा खसरा संख्या 212 रकबा 7.60है. मे से पूर्व दिशा की 2.65 है, कुल किता 2 रकबा 4.95 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख मे तद्नुसार इन्द्राज किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। प्रकरण कोई विवाद बिन्दु निहित नही होने से इसी स्टेज पर बहस उभय पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 130 रकबा 2.30 है. तथा खसरा संख्या 212 रकबा 7.60 है. मे से पूर्व दिशा की 2.65 है, कुल किता 2 रकबा 4.95 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किये जाने योग्य होने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 130 रकबा 2.30 है. तथा खसरा संख्या 212 रकबा 7.60 है. मे से पूर्व दिशा की 2.65 है, कुल किता 2 रकबा 4.95 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है शेष भूमि पूर्ववत् प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी मे दर्ज रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजीयात् पर रहन यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 8/4/2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

वैभव पुत्र रामकुवांर जाति मीना निवासी श्रीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

'– वादी

बनाम

1– रामकुवांर पुत्र बिरधीलाल जाति मीना निवासी श्रीपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा
2– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 , 88 , 89 आर0 टी0 एक्ट

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर.टी. एक्ट
मुकदमा नं0 118/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी को ग्राम श्रीपुरा की खसरा संख्या 130 रकबा 2.30 है. तथा खसरा संख्या 212 रकबा 7.60 है. मे से पूर्व दिशा की 2.65 है, कुल किता 2 रकबा 4.95 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है शेष भूमि पूर्ववत् प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी मे दर्ज रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजीयात् पर रहन यथावत रहेगा।

निणर्य मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 08/04/2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा